संशोधन आदेश

संख्या-4/2016/4098/बावन-1-2015-01(122)/13

प्रेषक,

मो०शफ़कत कमाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20 जनवरी, 2016

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद सम्भल के विकास खण्ड सम्भल में बराही एवं मदलिसमस्तीपुर में नये प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-776/52-1-14-01(122)/13, दिनांक 26.02.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद सम्भल के विकास खण्ड सम्भल में बराही एवं मदलिसमस्तीपुर में नये प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त की धनराशि रू० 91.12 लाख (रू० इक्यानबे लाख बारह हजार मात्र) कार्यदायी संस्था- कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ (C&DS)** के पक्ष में जारी करने हेतु अवमुक्त की गयी है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के माध्यम से वास्तव में जनपद सम्भल के विकास खण्ड सम्भल में बराही एवं मदलिसमस्तीपुर में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु उपरोक्त धनराशि अवमुक्त की गयी है । शासनादेश में त्रुटिवश प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र अंकित हो गया है ।

अतः प्रश्नगत शासनादेश संख्या-776/52-1-14-01(122)/13, दिनांक 26.02.2015 को **प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र** को **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र** पढे जाने की सीमा तक एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है ।

3- शासनादेश दिनांक 26.02.2015 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।

भवदीय,

(मो०शफ़कत कमाल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4098(1)/बावन-1-2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- निदेशक, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ (C&DS)** ।
7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **सम्भल।**
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
10- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
11- वित्त-ई-11 ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in